(380)

नि/निग०/रीवा/2018/0593

488

न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा,

जिला–रीवा (म0प्र0)

प्राप्ति श्री नर्मदा प्र. शुक्ला
अधिवक्ता 23-01-18

+10

1. देवेन्द्र प्रसाद शुक्ल तनय स्व. श्री रामभरोसा शुक्ल उम्र 56 वर्ष, पेशा नौकरी निवासी ग्राम सदहना, तहसील सिरमौर जिला रीवा (म0प्र0) हाल निवास– रीवा ....**निगरानीकर्तागण**

बनाम

1. कृष्ण नारायण मिश्रा पिता स्व. समयलाल मिश्रा उम्र 54 वर्ष, पेशा कृषि व व्यवसाय स्व. समयलाल मिश्रा जरिये वारिशान
2. अनिल कुमार मिश्रा पिता समय लाल मिश्रा उम्र 51 वर्ष, पेशा कृषि एवं दोनों निवासी ग्राम सदहना, तहसील सिरमोर, जिला रीवा (म0प्र0)
3. शासन मध्य प्रदेश कार्यालय राजस्व निरीक्षक मंडल सिरमोर, तहसील सिरमौर, जिला रीवा द्वारा तहसीलदार गिर्द ....**गैरनिगरानीकर्ता**

निगरानी विरूद्ध आदेश राजस्व मंडल सिरमौर तहसील सिरमौर जिला रीवा (म0प्र0) प्रकरण क्र. 23 अ/2012/2017–18 आदेश दिनांक 06/11/2017

अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 ई.

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है–

गैरनिगरानीकर्ता क्र. 1 एवं क्र. 2 के स्व. पिता श्री समयलाल मिश्रा तनय विशेष्वर प्रसाद द्वारा राजस्व निरीक्षक मंडल सिरमौर तहसील सिरमौर जिला रीवा के समक्ष अपनी आराजियां 510 रकवा 0.14 हे., 511 रकवा 0.58 हे, 514 रकवा 0.71 हे, 515 रकवा 0.12 हे. स्थित मौज सदहना के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र संहिता की धारा 129 के तहत प्रस्तुत किया जिस

(380)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक II / निग0 / रीवा / भू–रा0 / 2018 / 0593 जिला–रीवा

देवेन्द्र प्रसाद शुक्ला / कृष्ण नारायण मिश्रा

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री नागेन्द्र प्रसाद शुक्ला उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील सिरमौर के प्रकरण क्रमांक 23 / अ–12 / 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरूद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को अनुविभागीय अधिकारी, तहसील सिरमौर , जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम. शर्मा), सदस्य	